PCSMANTRA.COM

बेलगावी का गन्ना समझौता: लाभ-साझेदारी और मूल्य-सुरक्षा का सवाल

समाचार-संदर्भ: 6 नवंबर 2026 की रिपोर्ट और शुक्रवार को मिलों की पेराई शुरू करने की सूचना | **प्रकाशन:** 6 नवंबर 2026
GS-III: कृषि मूल्य-नीति, किसान आय और कृषि-उद्योग



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

6 नवंबर 2026 को प्रकाशित *The Hindu* की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के बेलगावी में किसानों और चीनी मिलों के बीच गन्ना-मूल्य विवाद सुलझाने के लिए लाभ-साझेदारी का स्थानीय समझौता हुआ। शुक्रवार को जिले की 29 में से आठ मिलों ने पेराई शुरू करने और घोषित सूत्र का पालन करने की सूचना दी। अधिकांश किसान नेताओं ने आंदोलन रोकने का समर्थन किया, जबकि कुछ ने अतिरिक्त भुगतान की अनिश्चितता पर आपत्ति जताई।

दायरे की सावधानी: यह जिले के समझौते की समाचार-रिपोर्ट है, पूरे देश के लिए नई मूल्य-नीति की अधिसूचना नहीं। मूल लिखित समझौते की समीक्षा उपलब्ध नहीं है। रिपोर्ट में इसे देश का पहला प्रयोग कहने का दावा मंत्री का है; इस लेख में उस दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य नहीं माना गया है।

समझौते का विचार क्या है

किसान को केवल कच्चे माल का विक्रेता मानने के बजाय मिल की आर्थिक सफलता में हिस्सेदार मानना इसका विचार है। रिपोर्ट के अनुसार, एक आधार भुगतान के साथ बाजार-स्थितियों से जुड़ा अतिरिक्त भुगतान प्रस्तावित है। अतिरिक्त हिस्से के लिए किसान और मिल के बीच 75:25 का अनुपात बताया गया है। यह अनुपात रिपोर्ट में वर्णित स्थानीय व्यवस्था का है, राष्ट्रीय स्तर पर हर मिल पर लागू अनिवार्य अनुपात नहीं।

गन्ने की कटाई और पेराई में देरी से किसान को नुकसान हो सकता है। इसलिए तत्काल पेराई शुरू होना उपयोगी है, लेकिन भविष्य के संभावित लाभ का वादा निश्चित और समयबद्ध भुगतान का विकल्प नहीं बनना चाहिए।

रिपोर्ट के आँकड़ों में विरोध: परीक्षा के लिए क्या सुरक्षित है

रिपोर्ट एक स्थान पर ₹3,650 प्रति टन आधार मूल्य बताती है, पर आगे ₹3,500 और ₹100 की दो किस्तें तथा ₹3,600 के भुगतान का उल्लेख करती है। इसलिए स्थानीय गारंटीकृत रकम, अंतिम हिसाब और भुगतान-तिथि को मूल समझौते के बिना निश्चित नहीं बताया जा रहा।

इसके अलावा, रिपोर्ट में आधार राशि को केंद्रीय FRP से ऊपर बताया गया है। लेकिन PIB की 5 मई 2026 की आधिकारिक घोषणा में 2026-27 चीनी सत्र के लिए 10.25% मूल चीनी-प्राप्ति दर पर FRP **₹365 प्रति क्विंटल** है। दस क्विंटल एक टन होते हैं, इसलिए यह **₹3,650 प्रति टन** के बराबर है। प्राप्ति दर के अनुसार प्रीमियम और संरक्षित निम्न-दर के नियम भी हैं। अतः अलग प्राप्ति दर या शर्तों का विवरण पाए बिना स्थानीय रकम को सार्वभौमिक रूप से FRP से अधिक कहना उचित नहीं।

FRP, SAP और चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य में अंतर

- **FRP:** उचित और लाभकारी मूल्य, जो गन्ने के लिए केंद्र तय करता है। PIB के अनुसार यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्यों तथा अन्य पक्षों से परामर्श पर आधारित है। 2026-27 का घोषित FRP 1 अक्टूबर 2026 से शुरू सत्र में लागू है।
- **SAP:** राज्य परामर्शित मूल्य। राज्य की गन्ना-मूल्य व्यवस्था से संबंधित शब्द है; इसे हर राज्य में एक समान लागू मूल्य न मानें।
- **चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य:** तैयार चीनी की बिक्री का संदर्भ है। यह गन्ने के FRP से अलग उत्पाद और अलग इकाई का मूल्य है।

गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल या प्रति टन और चीनी का भाव प्रति किलोग्राम होने से सीधी संख्यात्मक तुलना भ्रामक हो सकती है। चीनी-प्राप्ति दर का अर्थ गन्ने से प्राप्त चीनी का अनुपात है; यह किसान की कुल आय या मिल का शुद्ध लाभ नहीं है।

लाभ-साझेदारी की संभावनाएँ और जोखिम

संभावना: बाजार में चीनी और संबंधित उत्पादों से बेहतर प्राप्ति होने पर किसान को अतिरिक्त आय मिल सकती है। हितों का तालमेल विवाद कम कर पेराई और भुगतान को समय पर ला सकता है।

जोखिम: बाजार भाव गिरने, लागत बढ़ने या मिल के लेखों में अस्पष्टता से अतिरिक्त हिस्सा कम हो सकता है। राजस्व, शुद्ध लाभ और बाँटने योग्य अधिशेष अलग आधार हैं। किस सूत्र पर हिस्सा मिलेगा, लागत कौन-सी घटेगी और लेखापरीक्षा कौन करेगा, यह लिखित होना चाहिए।

न्यायपूर्ण व्यवस्था: वैधानिक भुगतान-दायित्व का पालन पहले हो; अतिरिक्त हिस्सा उसका विकल्प न बने। छोटे किसानों की सौदेबाजी क्षमता, पारदर्शी तौल और प्राप्ति-दर परीक्षण, तथा विवाद-निवारण भी आवश्यक हैं।

यह भी पढ़ें: गन्ने और ईंधन नीति का संबंध समझने के लिए **एथनॉल मिश्रण, चीनी और फीडस्टॉक की बहस** पढ़ें।

परीक्षा के लिए महत्त्व

यह विषय कृषि-मूल्य समर्थन, किसान आय, सहकारी एवं निजी कृषि-उद्योग, जोखिम-साझेदारी और पारदर्शिता को जोड़ता है। तथ्य-प्रश्न में स्थानीय समझौते को राष्ट्रीय कानून न मानें। विश्लेषण में अधिक घोषित रकम और वास्तव में समय पर मिले भुगतान का अंतर रखें।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच लाभ-साझेदारी मूल्य विवादों को किस सीमा तक कम कर सकती है? वैधानिक मूल्य-सुरक्षा, पारदर्शिता और भुगतान-जोखिम के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा: भूमिका में गन्ने की नाशवान प्रकृति और मिल-किसान परस्पर निर्भरता बताएँ। मुख्य भाग में FRP का सुरक्षा-आधार, बाजार से जुड़े अतिरिक्त हिस्से की संभावना, असमान सौदेबाजी, लागत/लाभ की परिभाषा और विलंबित भुगतान के जोखिम लिखें। उपायों में लिखित सूत्र, स्वतंत्र लेखापरीक्षा, पारदर्शी तौल व प्राप्ति-दर परीक्षण, समयबद्ध भुगतान और शिकायत-निवारण रखें। निष्कर्ष में कानूनी सुरक्षा और अतिरिक्त आय को पूरक बताएँ।

प्रिलिम्स अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गन्ने का FRP और तैयार चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य एक ही उत्पाद के मूल्य हैं।
2. चीनी-प्राप्ति दर गन्ने से मिलने वाली चीनी के अनुपात से संबंधित है।
3. जिले का लाभ-साझेदारी समझौता अपने आप देश की सभी मिलों पर लागू कानून बन जाता है।

कौन-सा कथन सही है?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b) FRP गन्ने का मूल्य है, जबकि चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य तैयार चीनी का है। स्थानीय समझौते का दायरा राष्ट्रीय कानून से अलग है।

प्रश्न 2. ₹365 प्रति क्विंटल किस राशि के बराबर है?

(a) ₹365 प्रति टन

(b) ₹36.50 प्रति टन

(c) ₹3,650 प्रति टन

(d) ₹36,500 प्रति टन

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) एक क्विंटल 100 किलोग्राम और एक टन 1,000 किलोग्राम है। इसलिए प्रति टन रकम प्रति क्विंटल रकम की दस गुनी है। FRP की तुलना में प्राप्ति-दर की शर्त भी साथ पढ़नी चाहिए।

स्रोत

- The Hindu, 6 नवंबर 2026, 15:15: बेलगावी समझौते की रिपोर्ट
- PIB, 5 मई 2026: 2026-27 सत्र का आधिकारिक FRP और प्राप्ति-दर की शर्तें

PCS MANTRA